

आदेश पत्रक

आवेदक : महदेव यादव
 पिता : स्व. लुगी यादव
 ग्राम : इटकी

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता0 सिमांकन कार्य से ता0
 जिला सं0 03 - 2017 - 18 सन 20.....
 केस का प्रकार :- खदीदगी/रैयती भूमि का सिमांकन

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
1	2	3										
<p>12-2-17</p>	<p>आवेदक <u>महदेव यादव</u> पिता का नाम <u>स्व. लुगी यादव</u> ग्राम <u>इटकी</u> थाना - विश्रामपुर, जिला पलामू ने अपनी खरीदी हुई खतियानी भूमि के अंचल अमीन से सिमांकन कराने के लिए आवेदन देकर अनुरोध किया है। भूमि का विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>88</td> <td>912</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त भूमि का जांच प्रतिवेदन हल्का कर्म0/अंचल निरीक्षक से माँग कर अभिलेख दिनांक <u>22/5/17</u> को रखें।</p> <p style="text-align: right;"><u>महदेव यादव</u> अंचल अधिकारी नावा बाजार।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा			88	912	49	<p>22-2-17</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि का जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्म0/अंचल निरीक्षक से प्राप्त हुआ जिसमें अंचल अमीन ने एक/दो दिन के सिमांकन शुल्क जमा करने हेतु प्रतिवेदित किये हैं। आवेदक <u>महदेव यादव</u> को आदेश दिया जाता है कि नाजीर के पास शुल्क 500 <u>1136</u> - रु0 नगद जमाकर नाजीर से रसीद प्राप्त कर लें। नाजीर को आदेश दिया जाता है कि आवेदक से सिमांकन शुल्क जमा लेकर रसीद निर्गत करें। तदनुसार भूमि सिमांकन के लिए अंचल अमीन निर्गत करें तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि भूमि का सिमांकन करें। प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।</p> <p style="text-align: right;"><u>महदेव यादव</u> अंचल अधिकारी, नावाबाजार।</p>
ग्राम	थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा								
		88	912	49								